न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 18/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/92

अपीलाण्ट :–
भूरी पुत्री स्वर्गीय मुलाजी पत्नी श्री भीमाराम जाति सीरवी, निवासी– ग्राम कूरना, हाल निवासी– ग्राम गुन्दोज तहसील व जिला पाली, राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. सोनाराम पुत्र स्वर्गीय मुलाजी, जाति सीरवी, निवासी– ग्राम गुन्दोज तहसील व जिला पाली, राज.
2. मैती पुत्री स्वर्गीय मूलाजी पत्नी श्री दरगाराम जाति सीरवी, निवासी– कूरना, हाल निवासी खोडिया बालाजी रोड चीमाबाई स्कूल के सामने पाली, तहसील व जिला पाली राज.
3. जमनी पुत्री स्वर्गीय मूलाजी पत्नी श्री वरदाराम जाति सीरवी, निवासी– ग्राम कूरना, हाल निवासी– ग्राम कानेलाव, तहसील व जिला पाली राज.
4. धापु पुत्री स्वर्गीय मूलाजी पत्नी श्री नेकाराम जाति सीरवी निवासी– ग्राम कूरना, हाल निवासी– ग्राम डेण्डा की ढाणी, तहसील व जिला पाली राज.
5. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी व चेतन आगरी
रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **30.10.2024**

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2090 दिनांक 23.10.2001 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा कूरना, पटवार हल्का कूरना, तहसीलव पाली में खसरा संख्या 1065, 16, 296, 305, 426, 443, 445, 446, 487, 610 कुल रकबा 121 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि राज़स्व रेकर्ड में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 के पिता मूला की सहखातेदारी की आई हुई

Scanned with ACE Scanner

है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 01 लगायत 04 मृतक मूला के प्रथम श्रेणी के वारिश होते हुये भी मात्र रेस्पो. संख्या 01 के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो प्रथम–दृष्ट्या ही विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 02 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीयां को जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण की सचेष्ट जानकारी होते हुये भी करीब 23 वर्ष बाद उक्त अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है। साथ ही निर्वसीयती मृत्यु होने पर प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों में सम्पति के अधिकार निहित होने का कथन गलत है, क्योंकि अधिकार निहित होना परिस्थितियों पर निर्भर करते है। वर्तमान में जैर आराजी पर रेस्पो. संख्या 01 का करीब 20 वर्षों से कब्जा है, इसलिए भी जैर अपील काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 03 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **1980 RRD NUC 22J, 76 RRD 10** व **AIR 2012 SC 1629** प्रस्तुत किये।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का मृतक मूला की पुत्री होने का तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मृतक मूला की विरासत में सिर्फ सोनाराम के नाम विवादित नामान्तरकरण संख्या 2090 दर्ज किया गया है तथा यह स्वीकृत स्थिति है कि मूला के प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारियों में उसकी पुत्रियां अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेण्ट उपलब्ध थे। विरासत के नामान्तरकरण में कब्जा गौण होता है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उपलब्ध रहते हुए उन्हें वंचित किया जाना प्रथम–दृष्ट्या विवादित नामान्तरकरण को प्रारम्भ से ही विधि शून्य होना प्रकट करता है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण निर्णय दिनांक 23.10.2001 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 2090 ग्राम कूरना खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत जांच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **25.12.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner